न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS

पत्रावली संख्या : **37/07(प्रा0पत्र)**

प्रकरण दर्ज दिनांक : 05.04.2007 **निर्णय दिनांक : 26.03.2018**

अनवान्

1. श्री भगवानलाल पिता भेरूलाल लोहार निवासी सांगवा तह. मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री रूपलाल पिता भजा डांगी निवासी घासा तह. मावली।
2. श्रीमती टमुडी पुत्री जेता पत्नी गणेश डांगी निवासी भैसडांखुर्द तह. मावली।
3. श्रीमती गोपी पुत्री जेता पत्नी कुका डांगी निवासी भल्लों का गुडा तह. गिर्वा।
4. श्रीमती सवागी बेवा जेता डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

......................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मोहनलाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा. दी.

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 26.03.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगवा तह. मावली में प्रार्थी के पिता श्री भेरूलाल पिता धनराज लोहार के खातेदारी की साबिक आराजी नम्बर 921/1 रकबा पोने पांच बीघा दो बिस्वा लगानी 2 रूपया 7 आना स्थित थी जिसके हाल पैमाईश नये नम्बर आराजी नम्बर 589 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा पडे हैं।
2. उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि का प्रार्थी के पिता एवं प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी का निरन्तर कब्जा आज तक चला आ रहा है और आज भी प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काबिज होकर फसले बोता है तथा काश्त करता है जिससे प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया हैं।
3. उक्त आराजी में विपक्षीगण का कोई हित, स्वत्व, कब्जा एवं अधिकार नहीं हैं, और न ही विपक्षीगण का इस भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार हैं। यह जमीन प्रार्थी की है विपक्षीगण सं. 2, 3 के पिता व विपक्षीगण सं. 4 के पति मृतक जेता पुत्री केरा उर्फ केरिंग डांगी को उक्त आराजी का प्रार्थी या प्रार्थी के पिता द्वारा कभी भी कोई बैह, बक्षीस, रहन नहीं किया गया है और नही किसी प्रकार से अन्तरण किया गया है और न ही कब्जा सिपूर्द किया गया है विपक्षी सं. 2, 3 के पिता व विपक्षी सं. 4 के पति मृतक श्री जेता पिता केरा उर्फ केरींग डांगी निवासी घासा ने तथाकथित फर्जीवाडा कर बेहनामें में उक्त आराजी नम्बर 921/1 दर्ज नहीं होते हुए भी ऐसे आरम्भतः से ही प्रार्थी के मुकाबले में एब इनिसियों वोईड शून्य बैह नामें से एवं उक्त आराजी पर कब्जा नहीं

होते हुए भी फर्जीवाडा कर वक्त सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियों से साठ गाठ कर मिली भगत कर उक्त वादोक्त आराजी नम्बर 921/1 का अवैध अनुचित व फर्जी तथा शून्य नामान्तरकरण संख्या 106 खुलवाकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में गलत प्रविष्ठियां करवा कर खातेदारी में दर्ज करवा दी और जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं होने दी इसलिए प्रार्थी उक्त नामान्तरकरण को अवैध शून्य घोषित करावाने एवं उक्त अस्तित्वहीन शून्य विक्रय पत्र पर आधारित राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रविष्ठियों को रद्द करावा कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती करावाने का अधिकारी हैं। साथ ही जेता पिता केरा डांगी ने अपना कब्जा उक्त आराजी पर नहीं होते हुए भी राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में उपरोक्त आराजी अपने नाम गलत दर्ज होने से उक्त आराजी दिनांक 08.06.98 को अन्य आराजीयात के साथ विपक्षी सं. 1 को बिकाव कर दी, जबकि उक्त बिकाव के समय भी प्रार्थी ही उक्त जमीन पर काबिज था और प्राथ्र्जी का ही कब्जा चला आ रहा था और आज भी प्रार्थी का ही कब्जा है इसलिए जेता डांगी को कानुनन उक्त आराजी बैह करने का कोई अधिकार नही था फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने उक्त गलत बैह नामें से उक्त आराजी खरीद की हैं। इसलिए यह बैह दिनांक 8.6.98 आरम्भतः से ही प्रार्थी के मुकाबले में एवं इनिसियों वोईड होकर शून्य है जिससे विपक्षी सं. 1 को ऐसे शून्य एवं अनाधिकृत बैह से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। न खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है न आज विपक्षी संख्या 1 को कोई कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त है विपक्षी सं. 1 ने अस्तित्व एवं शून्य बैह से उक्त वादोक्त आराजी को अवैध अनुचित एवं शून्य नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 21.09.98 से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में गलत प्रविष्टियॉ दर्ज करवाकर खातेदारी में अंकित करवा दी है इसलिए वादी उक्त नामान्तरकरण संख्या 642 को अवैध शून्य, घोषित करवा कर उस पर आधारित प्रविष्ठियों को रद्द करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी हैं।

4. विपक्षी सं. 1 आज से दस दिन पूर्व उक्त आराजी पर दो–चार आदमियों को लेकर आया और उक्त जमीन को दिखाने लगा तब प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 से कहा कि आप मेरी जमीन पर क्यू आये हो जिस पर विपक्षी सं. 1 ने कहा कि जमीन मेरी है इसलिए ग्राहकों को बताने के लिए लेकर आना बताया, उस पर प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 को कहा कि यह जमीन प्रार्थी की है और प्रार्थी का कब्जा है तो विपक्षी सं. 1 व उसके साथ वाले आदमी उस वक्त वहां से चले गये। प्रार्थी ने पटवारी के पास जाकर उक्त आराजी के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी की और खाते की नकल प्राप्त की तो उसे उक्त आराजी विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई इस पर प्रार्थी ने आवश्यक दस्तावेज राजस्व रेकार्ड से प्राप्त कर यह वाद अविलम्ब न्यायालय आपमें विपक्षीगण के विरूद्व पेश किया हैं।
5. विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि पर नाजायज दबाव डालकर जमीन छिनना चाहते है एवं जमीन पर आकर मारपीट कर डरा धमका कर जबरन कब्जा करना चाहते है व प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी करते हैं। प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि हडपने की नियत से प्रार्थी के कब्जे में रूकावट उत्पन्न करते है तथा उक्त कृषि भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से अन्य को बेचने की कोशिश कर रहे हैं व उक्त भूमि का अन्य को अवैध हस्तान्तरण करने हेतु कब्जा प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है, इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की दाद पाना भी आवश्यक हो गया हैं।
6. दिनांक 04.04.2007 को प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में शांतिपूर्वक काबिज हो कार्य कर रहा था तो विपक्षी सं. 1 अपने साथ असामाजिक तत्वों को लेकर साथ में जे.सी.बी.

लेकर प्रार्थी को डराने धमकाने व तोड फोड एवं कब्जा करने की नियत से आया व प्रार्थी के कब्जे एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न की। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी को जान से खतम करने की धमकी दी तथा प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ तथा प्रार्थी को धमकी दी की उक्त आराजी में पडें सामान, मवेशीघर व फसल इत्यादि को नष्ट कर देगें और प्रार्थी को बेदखल कर देगें जबकि प्रार्थी ही उक्त भूमि का कब्जेदारी काश्तकार है और कब्जा भी प्रार्थी का ही है, इसलिए विपक्षीगण को प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में ऐसे अनुचित एवं अनाधिकार कार्य करने से अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना न्यायहित में अति आवश्यक हो गया है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को बहुत भारी नुकसान होगा, मुकदमेंबाजी बढेगी और ऐसा नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी में नहीं हो सकेगी। उसके मुकाबले में विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के हक में हैं।

7. विपक्षी सं. 1 दिनांक 04.04.2007 को जे.सी.बी. लेकर आया और साथ में भूमि दलाल व असामाजिक तत्वों को लेकर आया और उक्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी करने की कोशिश की है इसलिए भी दौराने दावा विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावें कि दौराने दावा विपक्षी सं0 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के कब्जे की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, न कब्जा हटावें, न वादी/प्रार्थी को बेदखल करें, न कृषि भूमि किसी अन्य को बेह करें, न उक्त भूमि में जबरन प्रवेश करें, उक्त कार्य स्वयं विपक्षी सं. 1 भी नहीं करें, और न अपने किसी नौकरों, एजेन्टों परिवार के सदस्यों, दलालों या किसी अन्य से उक्त कार्य करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 5 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी सं. 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात मौजा ग्राम सांगवा तह. मावली जिसके पडौस हस्बजैल हैं पूर्व में नाला, पश्चिम में घासा की नहर, उत्तर में खटीक नाथु, दक्षिण में जेता की भूमि हैं। मुझ विपक्षी की जानकारी करने पर मालुम हुआ है कि उक्त पडोसों की भूमि को तारीख 29.08.1962 को प्रार्थी के पिता श्री भेरूलाल जी द्वारा श्री जेता पिता केरा डांगी निवासी सांगवा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी गई व कब्जा सौंप दिया गया, तब से इस पर जेताजी काबिज रहे व जेता जी के नाम जरिये नामान्तकरण सं. 642 से दर्ज हुई है लेकिन बिकावनामें में भूलवंश आराजी नम्बर 921/1 के बजाय 921/2 अंकित हो गया है जबकि जो पडौस अंकित किये गये है वह आराजी नम्बर 921/1 के है तथा विक्रय पत्र के कब्जा भी इन्ही पडौसों के मध्य की भूमि का दिया गया है जब कि आराजी नम्बर 921/2 का रकबा 1 बिस्वा ही हैं। आराजी नम्बर 921/1 का रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा हैं। 4 बीघा 17 बिस्वा वाली भूमि ही विक्रय की गई हैं। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि आराजी नम्बर 921/2 के भी हाल आराजी नम्बर 589 ही बने हैं।

10. विवादित आराजी को प्रार्थी के पिता द्वारा विपक्षी नम्बर 2 व 3 के पिता व विपक्षी नम्बर 4 के पति श्री जेता पिता केरा डांगी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बैह कर दी है

जिसका विस्तृत उल्लेख उपर दिया जा चुका है। कथित बैहनामें में कोई फर्जीवाडा नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थी के पिता द्वारा निष्पादित किया गया बैहनामा है जिसमें विक्रीत की गई भूमि के चारो पडौस अंकित किये गये है व उन्ही पडौसों के मध्य आराजी नम्बर 921/1 स्थित हैं। ऐसी अवस्था में कथित विक्रय पत्र से प्रार्थी पाबंद हैं व प्रार्थी इसके विपरीत नहीं जा सकता हैं। सेटलमेन्ट के दौरान कोई फर्जीवाडा कर आराजी नम्बर 921/1 का नामान्तरकरण नहीं खुलवाया गया है बल्कि वास्तव में बेचीं गई भूमि आराजी नम्बर 921/1 होन से भी पडौस का मिलान करते हुए खोला गया है व प्रार्थी व प्रार्थी के पिता की जानकारी होते हुए खोला गया है व साथ रहकर खुलवाया गया है तथा इसी कारण से इतने समय तक कोई आपत्ति नहीं की गई है व इतने लम्बे समय बाद प्रार्थी की नियम में बेईमानी आ जाने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो झूठा व मनगढन्त आधारों पर होने से निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थी के पिता द्वारा जेता जी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वैध है तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया है वह भी वैध है व उसे निरस्त करने का कोई आधार नहीं है, न प्रार्थी को इस तरह के नामान्तरकरण को चुनोती देने का अधिकार हैं। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर विक्रय के बाद कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी को घोषणा का दावा लाने का भी कोई अधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पर जेता का खातेदारी हक से कब्जा होने से जेता द्वारा तारीख 08.06.98 को अन्य आराजीयात के साथ वादग्रस्त भूमि को विपक्षी सं. 1 को विधिवत् रूप से बिकाव कर कब्जा सौंप दिया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी नम्बर 1 काबिज चला आ रहा है तथा यह विक्रय पत्र वैध होकर इस विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि अन्य आराजी के साथ विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज की गई है जिसके नामान्तकरण संख्या 642 हैं। यह नामान्तरकरण पूर्ण जांच कर खोला गया है जिसको रद्द करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, न प्रार्थी को इस नामान्तरकरण को चुनोती देने का अधिकार है, न प्रार्थी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी हैं।

11. जब प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है तो तारीख 04.04.2007 को विपक्षी नम्बर 1 द्वारा अपने साथ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर जे.सी.बी. लेकर प्रार्थी को डराने, धमकाने, तोड फोड एवं कब्जा करने की नियत से आने व प्रार्थी के कब्जे, कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य मनगढन्त व झूठे अंकित किये गये है। प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तो विपक्षी सं. 1 को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी। इसके मुकाबले प्रार्थी को कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी के पिता वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर चुके है और प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्व अपने प्रार्थना पत्र में चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य हैं।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जब तक विपक्षी नम्बर 2, 3 के पिता व विपक्षी नम्बर 4 के पति द्वारा जेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र तारीख 29.08.1962 को सक्षम न्यायालय से निरस्त न करा लेवे तब तक प्रार्थी इस न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

14. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RRT 1995(2) Page 475, RRD 2002 Page 744, RRT 2004(2) Page 808, RLW 2012(1)RJ Page 404, RLW 2006(1)RJ Page 454, RLW 2006(1)RJ Page 255, RRD 1999 Page 466, RBJ (14)2007 Page 391 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RRT2010(2) Page 1392, RRT2009(2) Page 1327, RBJ(11)2004 Page 163, RRD 1997 Page 591, RBJ(16) 2009 Page 69, प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरो का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थी के पिता भेरूलाल ने अपनी भूमि आ.न. 921/1 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बैचान किया जिसमें पडौस भी रजिस्ट्री में अंकित करना बताया है। रजिस्ट्री में सेहवन से आ.न. 921/1 के बजाय 921/2 का अंकन हो गया है। जबकि पडौस एवं रकबा सही है। 921/2 का रकबा 1 बिस्वा ही है, इसी आधार पर रकबा व पडौस सही होने से उसी आराजी के आधार पर केता जेता के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाकर जमाबन्दी में नाम अंकित किया गया। जेता द्वारा भी उक्त भूमि का बेचान विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया जा चुका है। जिसके आधार पर विपक्षी सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर मौके पर काबिज होना बताया है। विपक्षी सं0 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी सं. 1 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण भी विपक्षी के पक्ष में साबित हुआ हैं। विपक्षी खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी विपक्षी के पक्ष में हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी वर्णित भूमि का खातेदार हैं। प्रार्थी के पिता भेरूलाल द्वारा भूमि विपक्षी सं. 2 से 4 के पिता/पति जेता को दिनांक 29.8.1962 को विक्रय की जिसके आधार पर जेता के नाम भूमि दर्ज होने से जेता ने विपक्षी सं. 1 को उक्त भूमि का दिनांक 8.3.98 को बेचान किया जिसका नामान्तरकरण दिनांक 21.9.1998 को पारित किया गया। भूमि का बेचान किया जाने एवं जेता के नाम पर दर्ज हो जाने के बाद भी कई वर्षो बाद वाद लाया गया। विपक्षी सं. 1 भूमि पर रजिस्ट्री दिनांक से अपना कब्जा बता रहा हैं एवं प्रार्थी भी अपना कब्जा होने का कथन कर रहा है। चूंकि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मूल वाद में साक्ष्य सबूत से तय किया जावेगा।

17. प्रकरण में विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 151 का पेश कर प्रार्थी द्वारा बिना कोर्ट के मंजूरी के पटवारी रिपोर्ट मंगवाई जाकर पत्रावली में संलग्न की है, जिसे हटाने का भी निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं पत्रावली के अवलोकन से पटवारी द्वारा कब्जे की रिपोर्ट का होना जाहिर आया है जो बिना न्यायालय के आदेश के बनाया गया है। चूंकि कब्जे बाबत् साक्ष्य पक्षकार को स्वंय अपने स्तर पर एकत्रित करने चाहिये न्यायालय इसकी अनुमति नही दे सकता है। बिना न्यायालय के अनुमति के पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट कब्जे बाबत् होने से इस पत्रावली में रेकार्ड पर लिया जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 स्वीकार किया जाता है तथा उक्त पटवारी रिपोर्ट को पत्रावली के रेकार्ड पर से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त दस्तावेज पत्रावली में पार्ट डी में शामिल फाईल रहे।

18. प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से प्रथम दृष्टया कब्जा भी खातेदार का माना जाता हैं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी सं. 1 के पक्ष में साबित हुए हैं। यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगाा। खातेदार अधिकार संबंधी अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली